बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–25/2016 49 पटना, दिनांक: 17-03-2020

कार्यालय आदेश

श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कहरा अंचल, सहरसा, संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सदर प्रखंड, मोतिहारी(पूर्वी चम्पारण) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक– 831/स्था० दिनांक–21.07.2016 द्वारा गठित आरोपों के लिए निदेशालय के का०आ०सं०–215 सहपठित ज्ञापांक–1838 दिनांक– 19.08.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, सहरसा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध रूप से कहरा प्रखंड परिसर की जमीन मौजा–कहरा, थाना नं०–195, खाता संख्या–952/66, खेसरा संख्या–4991/3094, रकवा 13 डिसमिल श्रीमती मंजू देवी पति–रविन्द्र साह, साकिन–कहरा, जिला–सहरसा के नाम दाखिल–खारिज करने का आरोप गठित किया गया था।

3. अपर समाहर्त्ता, सहरसा–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–4/गो० दिनांक–23.02.2017 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही में संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया है कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

4. संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित नहीं होने के समर्पित प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1837 दिनांक–21.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी सहरसा से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, सहरसा ने समर्पित अपने मंतव्य में कहा है कि "श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कहरा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित तत्कालीन संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सहरसा के जॉच प्रतिवेदन पर मंतव्य के संदर्भ में कहना है कि तत्कालीन संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य के बावजूद श्री सिंह को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा संचालन पदाधिकारी द्वारा की गयी है जिससे अधोहस्ताक्षरी असहमत हैं।"

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) में किये गये प्रावधान के तहत निम्न असहमति का बिन्दु गठित किया गया :–

श्रीमती मंजू देवी पति रविन्द्र साह साकिन–कहरा जिला–सहरसा के नाम से R.T.P.S. नं०–3683, केश नं०–2539/14–15 के दाखिल खारिज की सम्पूर्ण प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी

0149 स्था०1(स्था०आ०) (17 मार्च 2020) अनिल कुमार सिंह.

श्री रामचन्द्र यादव, R.T.P.S. कर्मी, प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री [illegible]नी साद एवं कार्यालय कर्मी स्पष्ट तौर पर दोषी प्रतीत होते हैं। मामला उजागर होने पर सारे मूल दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर उसे गायब कर दिया गया, ऐसा संदेह होता है। जाँच हेतु उपलब्ध कराये गये शुद्धिपत्र की छायाप्रति पर अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर मात्र अंकित पाया गया, जिससे अंचलाधिकारी, कहरा श्री अनिल कुमार सिंह का कार्यकलाप भी संदेहात्मक प्रतीत होता है ।"

6. बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के आलोक में गठित असहमति के बिन्दु पर श्री सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । अपने अभ्यावेदन में श्री सिंह ने उल्लेख किया है कि " मामला दाखिल–खारिज के फर्जीवाड़ा से संबंधित है जिसमें श्री रामचन्द्र यादव, राजस्व कर्मचारी को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। दाखिल–खारिज हेतु कोई भी आवेदन RTPS काउन्टर पर दाखिल किया जाता है, जहाँ आवेदन कम्प्युटर से रजिस्टर्ड होता है। फिर अंचल कार्यालय में अभिलेख संधारित होने के पश्चात् दाखिल–खारिज वाद संख्या अंकित होने के पश्चात् हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच करायी जाती है। सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् अंचल अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जाता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्द्ध न्यायिक है। पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तीन मूल शुद्धि पत्र निर्गत किया जाता है जो अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है जिसके आधार पर जमाबंदी कायम होता है। राजस्व रसीद हल्का कर्मचारी द्वारा निर्गत होता है।

वर्त्तमान मामले में श्रीमती मंजू देवी द्वारा दाखिल–खारिज हेतु कोई आवेदन RTPS में दाखिल नहीं किया गया। दाखिल–खारिज हेतु कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया न ही दाखिल–खारिज वाद संस्थित हुआ। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर उनके द्वारा जाँच करने पर स्थिति स्पष्ट हुई कि राजस्व कर्मचारी द्वारा फर्जी शुद्धि पत्र की छायाप्रति पर दूसरे व्यक्ति श्री दुखा साह द्वारा दाखिल–खारिज आवेदन का RTPS नं०–3683 एवं किसी अन्य तीसरे व्यक्ति रामेश्वर यादव के दाखिल–खारिज वाद सं०–2539/14–15 अंकित कर श्रीमती मंजू देवी के नाम से जमाबंदी नं०–4392 कायम कर राजस्व रसीद सं०–00321198 दिनांक–02.09.2014 को निर्गत किया गया एवं मामला उजागर होने पर उक्त राजस्व रसीद को स्वयं रद्द कर दिया। मूल शुद्धि पत्र किसी के भी द्वारा सामने नहीं लाया गया। शुद्धि पत्र उक्त श्री रामचन्द्र यादव की लिखावट में है जबकि शुद्धि पत्र तीन प्रति में कार्यालय कर्मी द्वारा लिखा एवं तैयार किया जाता है और तीनों मूल प्रति पर अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। तीनों मूल शुद्धि पत्र की एक प्रति आवेदक को, एक प्रति राजस्व कर्मचारी को एवं एक प्रति संबंधित अभिलेख में संरक्षित रखा जाता है। परन्तु इस मामले में शुद्धि पत्र की छायाप्रति राजस्व कर्मचारी के लिखावट में है एवं अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर स्कैन किया गया है। अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर एवं शुद्धि पत्र बिल्कुल फर्जी है। साथ ही साथ शुद्धि पत्र का आधार भूदान पर्चा भी फर्जी है। यह सारा फर्जीवाड़ा श्री रामचन्द्र यादव के द्वारा की गई है। उनके द्वारा मामले की जाँच कर प्रपत्र 'क' गठित किया गया एवं उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से विभिन्न पत्राचारों द्वारा अवगत कराया गया। गठित प्रपत्र 'क' के आधार पर जाँचोपारान्त

विभागीय कार्यवाही संचालित कर श्री रामचन्द्र यादव को जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक–1378 दिनांक–31.10.2017 द्वारा श्री रामचन्द यादव, राजस्व कर्मचारी के बर्खास्तगी आदेश में निष्कर्ष दिया गया है कि " श्रीमती मंजू देवी, पति –श्री रविन्द्र साह, साकिन –कहरा के नाम, कहरा प्रखंड परिसर की तीन कट्‌ठा भूमि का गलत तरीके से दाखिल–खारिज शुद्धि पत्र की छायाप्रति का सृजन करने एवं जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत करने एवं अन्य आरोपों को सम्पुष्ट करता है तथा उनके अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, सरकारी दायित्व निर्वहन में जानबूझकर अनियमितता करना एवं भ्रष्ट आचरण का द्योतक है।"

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा गठित असहमति के बिन्दु पर प्राप्त श्री सिंह के अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से इस मामले में श्री अनिल कुमार सिंह का संलिप्तता प्रतीत नहीं होता है।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मत से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कहरा अंचल, सहरसा, संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सदर प्रखंड, मोतिहारी को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

9. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार संचालन पदाधिकारी के मत से सहमत होते हुए श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कहरा अंचल, सहरसा, संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सदर प्रखंड, मोतिहारी को आरोप से मुक्त किया जाता है।

ह०/–
राजेश्वर प्रसाद सिंह
निदेशक

ज्ञापांक:– स्था०1/आ०2–25/2016 519 पटना, दिनांक: 17-03-2020

प्रतिलिपि:–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक– 831/स्था० दिनांक–21.07.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, मोतिहारी(पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी,सदर प्रखंड, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अनिल कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सदर प्रखंड, मोतिहारी(पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 17/03
निदेशक

0149 स्था0 1(का0 आ0) (06 मार्च 2020) अनिल कुमार सिंह.